

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

मोहाली/चंडीगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त 22.04.2025 को सुबह 11:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, एनएसईजेड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, आईआरएस, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
2. श्री नारायण सिंह अजनोहा, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क
3. श्रीमती प्रियंका धर, आयकर विभाग, पंजाब
4. श्री शिव राम ढिल्लों, पीएसआईसी चंडीगढ़

इसके अलावा, बैठक के दौरान अनुमोदन समिति की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे

- i) श्री गया प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
- ii) श्रीमती पूनम, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
- iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त।

प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के पश्चात, कार्यसूची पर क्रमिक रूप से चर्चा की गई। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श तथा आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के पश्चात, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

कार्यसूची मद संख्या 1:- विषय: दिनांक 04.03.2025 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

1.1 समिति को सूचित किया गया कि 04.03.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दिनांक 04.03.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 2:- टीटीईसी इंडिया कस्टमर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना

2.1 यह बताया गया कि मेसर्स टीटीईसी इंडिया कस्टमर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), मोहाली के परिसर में एक इकाई स्थापित करने के

लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। यह "आईटी और आईटीईएस सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए था, जिसमें सूचना सक्षम सेवाएं जैसे बैंक ऑफिस संचालन, कॉल सेंटर, ऑकड़ा प्रसंस्करण, बीमा दावा प्रसंस्करण, मानव संसाधन सेवाएं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, अस्पताल सेवाएं, अन्य मानव स्वास्थ्य सेवाएं (सीपीसी: 8313)" शामिल हैं।

2.2 आवेदक ने पांच वर्ष की अवधि में 38073.77 लाख रुपये का निर्यात और 36939.45 लाख रुपये का संचयी वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एनएफई) प्रस्तावित किया था। आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए क्रमशः 1134.33 लाख रुपये और 3161.58 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया था। आवेदक ने 5774.22 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं का भी प्रस्ताव रखा था।

2.3 आगे यह भी बताया गया कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित कमियां पाई गई थीं:

- i. आवेदक ने मूल हस्ताक्षरित फॉर्म-एफ के बजाय हस्ताक्षरित फॉर्म-एफ की प्रति प्रस्तुत की है।
- ii. आवेदक ने प्रस्तावित सेवाओं के सामने सीपीसी कोड 8313 का उल्लेख किया है जो सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) परामर्श और सहायता सेवाओं के लिए है। जबकि आवेदक ने मानव संसाधन, चिकित्सा सेवाएं, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, अस्पताल सेवाएं आदि सहित अन्य सेवाओं का भी प्रस्ताव रखा है। इसलिए, आवेदक को सभी प्रस्तावित सेवाओं के लिए अलग और सही सीपीसी कोड का उल्लेख करना होगा।
- iii. पहले निदेशकों की समाप्ति और वर्तमान निदेशकों की नियुक्ति के लिए डीआईआर-11/12 की प्रतियां नहीं दी गई हैं।
- iv. आवेदक ने आयकर से संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।
क. क्या कोई छूट का दावा किया जा रहा है और यदि हाँ, तो किस धारा के तहत और क्या आयकर विभाग ने किसी भी समय छूट की अनुमति नहीं दी है।
ख. क्या आयकर विभाग द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है? यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें।
ग. स्थानांतरण मूल्य निर्धारण का मुद्दा उठाने वाली सहयोगी कम्पनियों के साथ लेन-देन का विवरण।
- v. फॉर्म-एफ में क्रम संख्या VIII(5) में, आवेदक ने 200 केवीए के रूप में बिजली की आवश्यकता का उल्लेख किया है जो बहुत अधिक लगता है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
- vi. कंपनी का संक्षिप्त रूपरेखा और दृष्टिगोचर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2.4 निदेशक श्री धर्मेन्द्र कुमार और कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री इकबाल तौसीफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स टीटीईसी इंडिया कस्टमर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मेसर्स क्वार्कसिटी

22/05/25

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), मोहाली के परिसर में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यह अनुमोदन देखी गई कमियों के सुधार के अधीन होगा।

कार्यसूची मद संख्या 3: क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विकासक - अधिकृत संचालन के लिए सामग्री की सूची का अनुमोदन।

3.1 मेसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विकासक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र चौहान और श्री संजीव बटला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.2 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि निम्नलिखित कमियाँ देखी गई थीं:

- (i) चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है। प्रस्तावित माल द्वारा निर्मित/रखरखाव किए जाने वाले बुनियादी ढांचे (भवन आदि) का विवरण वर्ग मीटर में होना चाहिए।
- (ii) प्राधिकृत संचालन अर्थात 'प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन' के क्रम संख्या 33 पर, विकासक ने '2000 किलोग्राम/लीटर रसायन' और क्रम संख्या 43 पर '500 किलोग्राम गैस' का प्रस्ताव दिया है। इसलिए, प्रस्तावित रसायन और गैस का नाम उनके आईटीसी एचक्रम कोड के साथ दिया जाना आवश्यक है।
- (iii) प्राधिकृत संचालन अर्थात 'प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन' के क्रम संख्या 53 पर, विकासक ने 8 लाख रुपये की राशि का "हॉट वाटर जनरेटर" प्रस्तावित किया है। इसलिए, विकासक द्वारा उक्त मद की आवश्यकता को उचित ठहराया जाना चाहिए।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मोहाली, पंजाब में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत परिचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
i	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	1011.6990
ii	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल आदि शामिल हैं	04	278.6700
iii	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	67.3500

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
iv	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	353.7542
v	छिड़काव, आग और धूम संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	60.700
vi	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	79.3050
vii	प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया, कैंटीन	27	5.1000
viii	स्ट्रीट लाइटिंग, संकेत और साइनेज युक्त सड़कें।	01	18.4000
ix	भूदृश्य और जल निकाय	08	23.9554
	कुल		8298.9306

उपरोक्त अनुमोदन कमियों को दूर करने तथा प्रसंस्करण क्षेत्र के वातानुकूलन के लिए प्रस्तावित रसायन एवं गैस का विवरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

3.4 अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कार्यसूची मद संख्या 4: सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, सह-विकासक - अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची का अनुमोदन।

4.1 मेसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जतिंदर सिंह, सह-विकासकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताया।

4.2 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं:

(i) अधिकृत संचालन अर्थात् 'ठोस और तरल अपशिष्ट संग्रह, उपचार और निपटान संयंत्र जिसमें पाइपलाइन और सीवेज और कचरा निपटान के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा, सीवेज उपचार संयंत्र शामिल हैं के क्रम संख्या 4 में, सह-विकासकर्ता ने '300 लीटर रसायन का प्रस्ताव दिया है। इसलिए, प्रस्तावित रसायन का नाम और उसका आईटीसी एचएस कोड दिया जाना आवश्यक है।

(ii) क्रम संख्या अधिकृत संचालन की धारा 8 अर्थात् 'ठोस और तरल अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान संयंत्र जिसमें पाइपलाइन और सीवेज और कचरा निपटान के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा, सीवेज उपचार संयंत्र शामिल हैं के अनुसार, सह-विकासकर्ता ने फिल्टर मीडिया

24/11/25

(सिलिका रेत, बजरी, सक्रिय कार्बन आदि) का प्रस्ताव दिया है, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

(iii) प्राधिकृत संचालन अर्थात् 'प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन' के क्रम संख्या 22 पर, सह-विकासकर्ता ने '150 किलोग्राम रेफ्रिजरेशन गैस' का प्रस्ताव दिया है। इसलिए, प्रस्तावित रेफ्रिजरेशन गैस का नाम और उसका आईटीसी एचएस कोड दिया जाना आवश्यक है।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मोहाली, पंजाब में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत परिचालनों को जारी रखने के लिए सह-विकासक मेसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
i	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें स्रोत) (तक समर्पित लाइनें, सीवेज लाइनें, तूफानी जल नालियाँ और उचित क्षमता वाले जल चैनल।	02	12.08
ii	ठोस एवं तरल अपशिष्ट संग्रहण, उपचार एवं निपटान संयंत्र जिसमें पाइपलाइनें एवं सीवेज एवं कचरा निपटान के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना, सीवेज उपचार संयंत्र शामिल हैं।	03	12.83
iii	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल आदि शामिल हैं	04	44.93
iv	छिड़काव, आग और धूम संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	9.36
v	प्रसंस्करण क्षेत्र में मनोरंजक सुविधाएं जैसे इनडोर/आउटडोर खेल, व्यायामशाला/कर्मचारी शौचालय	19	8.60
vi	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे क्रेच, मेडिकल सेंटर और अन्य ऐसी सुविधाएं	20	1.05
vii	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	60.61
viii	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	88.08
ix	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	7.71

24/5/2025

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
	कुल		245.25

उपरोक्त अनुमोदन कमियों को दूर करने तथा प्रसंस्करण क्षेत्र के वातानुकूलन के लिए प्रस्तावित रसायन एवं गैस का विवरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

4.4 अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कार्यसूची मद संख्या 5: बंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के परिसर में कैफेटेरिया स्थापित करना।

5.1 श्रीमती गुरदीप कौर और श्री नवनीत कृष्णन, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, दिनांक 11.06.2019 के निर्देश संख्या 95 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन कैफेटेरिया स्थापित करने के लिए मेसर्स बंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद संख्या 6: एसजीएच मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया की स्थापना के लिए क्षेत्र का विस्तार।

6.1 इकाई की अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती कोमल ठाकुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स एसजीएच मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मोहाली, पंजाब में मेसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में पहली मंजिल, लैंडमार्क प्लाजा (एफ 3 टॉवर) में 1750 वर्ग फुट के क्षेत्र के विस्तार के लिए कैफेटेरिया स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन कैफेटेरिया स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद संख्या 7: कॉन्ग्रूएक्स एशिया पैसिफिक इंडिया एलएलपी - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के परिसर में कैफेटेरिया स्थापित करना।

7.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अक्षय अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

24/5/25

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स कॉन्ग्लूएक्स एशिया पैसिफिक इंडिया एलएलपी के कैफेटेरिया स्थापित करने के प्रस्ताव को 11.06.2019 के निर्देश संख्या 95 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन अनुमोदित किया।

कार्यसूची मद संख्या 8: कॉन्ग्लूएक्स एशिया पैसिफिक इंडिया एलएलपी - एलएलपी के नामित भागीदार में परिवर्तन।

8.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अक्षय अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार 05.12.2024 से इकाई के नामित भागीदारों में परिवर्तन पर ध्यान दिया:

		परिवर्तन से पहले (06.01.2020 तक)		परिवर्तन के बाद (05.12.2024 से प्रभावी)	
क्र. सं.	साझेदार का नाम	नामित साझेदार का नाम	% भागीदारी	नामित भागीदार का नाम	% भागीदारी
1.	सीएचसी कंसल्टिंग एलएलसी	अक्षय अग्रवाल (सीएचसी कंसल्टिंग एलएलसी के नामित)	99.9%	अक्षय अग्रवाल (सीएचसी कंसल्टिंग एलएलसी के नामित)	99.9%
2.	कॉन्ग्लूएक्स ग्रुप एलएलसी	केविन जेम्स ओ'हारा (कॉन्ग्लूएक्स ग्रुप एलएलसी के नामित)	0.1%	इंद्रनील देव (कॉन्ग्लूएक्स ग्रुप एलएलसी के नामित)	0.1%
		कुल:	100%	कुल:	100%

कार्यसूची मद संख्या 9: एलोरिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - क्षेत्र का विस्तार और अनुमानों में संशोधन।

9.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमंत नाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

9.2 यह सूचित किया गया कि आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं:

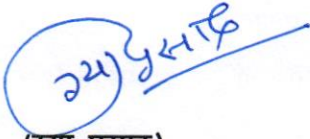
(i) इकाई द्वारा तत्काल प्राप्ति में दिए गए मौजूदा अनुमान पहले स्वीकृत अनुमानों से मेल नहीं खाते हैं। इसके अलावा, अब दिए गए मौजूदा और प्रस्तावित अनुमान पहले स्वीकृत अनुमानों की तुलना में बहुत कम हैं। इसलिए, इस संबंध में सही अनुमानों के साथ स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

(ii) इकाई ने मौजूदा और संशोधित अनुमानों में आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए किसी भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि, एनएसडीएल डेटा के अनुसार, यह देखा गया है कि इकाई ने

2023-24 के दौरान 0.03 करोड़ रुपये का आयात किया है। इसलिए, इस संबंध में स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

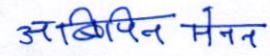
9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट नंबर 40ए, क्वार्कसिटी आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) औद्योगिक क्षेत्र, चरण 8बी, एसएस नगर, मोहाली, पंजाब में लैंडमार्क प्लाजा भवन के सतह 5 पर 30000 वर्ग फीट के क्षेत्र के विस्तार और अनुमानों में संशोधन के लिए मेसर्स एलोरिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन उपरोक्त अनुच्छेद 9.2 में बताए गए दस्तावेजों/कमियों को प्रस्तुत करने के अधीन है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(ग्या प्रसाद)

उप विकास आयुक्त



(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त